कार्यालय प्राचार्य, जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय,जबलपुर (म.प्र.)

(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

E-mail: prinjec.jbp@mp.gov.in Phone : 91-761- 2331953

क्रमांक / वाहन / 2023 /333 जबलपुर दिनांक / 01 / 05 / 2023

–:: वाहन सेवा प्रदाताओं / आपूर्तिकर्ताओं से वाहन किराये पर लेने विज्ञापन सूचना ::–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में संस्था प्रमुख एवं विभिन्न ब्रांच प्रमुखों के प्रशासकीय कार्यों हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित व प्रभावी नियमों के तहत आर.टी.ओ. (RTO) में टेक्सी श्रेणी में 31 मार्च 2022 के बाद में पंजीकृत ए.सी. वाहन जैसे तवेरा, टोयटा, इनोवा, महेन्द्रा जाइलो, थार, एटिओस (Etios) स्कार्पियो, जियाज, मारूति सुजकी डिजायर, आर्टिगा, विटारा, ब्रेजा, स्कोडा, टाटा, हुन्डई, क्रेटा, होन्डा अमेज, एम.यू.व्ही., फोर्स, निशान आदि अन्य वाहन / केब / टेक्सी की अधिकतम लागत सीमा रूपये 10लाख एक्स शोरूम कीमत होनी चाहिए। मासिक दरों के साथ–साथ प्रतिदिवस, प्रतिघण्टा एवं प्रति कार्य के अनुसार किराये पर लिये जाने हेतु **MP Tenders** पर ऑनलाइन ई-टेंडरिंग (Online E-tendering) https://mptenders.gov.in/nicgep/app **पर ऑनलाईन ओपन बिड(ओपन टेण्डर)** आमंत्रण कराया जाना है।

इस बावत इच्छुक सेवा प्रदाताओं / आपूर्तिकर्ताओं से **MP Tenders** पर ऑनलाइन ई-टेंडरिंग (Online E-tendering) https://mptenders.gov.in/nicgep/app **ऑनलाईन ओपन बिड** आमंत्रित किये जाते है :–

Tender critical dates for open bid submission and processing

S No	submission process	critical dates
1	Tender Publishing Date on MP Tender Portal	03-05-2023
2	Bid Submission Start Date	04-05-2023
3	Bid Submission End Date	26-05-2023
4	Technical Bid Opening Date	29-05-2023
5	Financial Bid Opening Date (only for those bidders who have qualified in technical bids)	05-06-2023

ऑनलाईन ओपन बिड के पश्चात चयनित सेवा प्रदाताओं / आपूर्तिकर्ताओं फर्म से ही वित्तीय वर्ष में वाहन सेवा संबंधी कार्यादेश उपरांत सेवा ली जावेगी।

नोट :– **ऑनलाईन बिड वाहन सेवा प्रदाताओं / आपूर्तिकर्ताओं से वाहन किराये पर लेने कार्य अनुबंध का विवरण मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित व प्रभावी नियम व शर्तें** सहित जानकारी समयानुसार विस्तृत जानकारी संस्था की वेबसाईट **www.jecjabalpur.ac.in** से भी प्राप्त / डाउनलोड की जा सकती हैं।

प्राचार्य,
जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय प्राचार्य,जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय,जबलपुर

(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

क्रमांक / वाहन / सत्र 2023–24 / 2023 /332 जबलपुर दिनांक /01/05 / 2023

वाहन सेवा प्रदाताओं / आपूर्तिकर्ताओं हेतु वाहन किराये पर लेने कार्य अनुबंध का विवरण नियम व शर्ते

1. वाहन अनुबंध वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित व प्रभावी / लागू नियमों, निर्देश आदेशों एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 (यथा संशोधित–2022) के तहत होंगे तथा उनका पालन भी किया जावेगा।
2. **MP Tenders** पर ऑनलाइन ई-टेंडरिंग (Online E-tendering) https://mptenders.gov.in/nicgep/app **पर नियमानुसार ऑनलाईन बिड** कराया जायेगा।
3. वाहन / केब / टेक्सी की अधिकतम लागत सीमा रूपये 10 लाख एक्स शोरूम कीमत होनी चाहिए। (वाहन बिल / ईनवाईस की छायाप्रति संलग्न हो)
4. वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में टेक्सी कोटे में 31 मार्च 2022 के बाद रजिस्टर्ड होना चाहिए। (वाहन आर.सी. की छायाप्रति संलग्न हो)
5. स्थानीय निवदिाकारों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा नियमानुसार पर्याप्त संख्या में स्थानीय निविदाकार के ऑनलाईन बिड / निविदा में भाग नहीं लेने पर पड़ोसी जिलों के निविदाकारों को निविदा में शामिल किया जावेगा। (फर्म का रजिस्ट्रेशन / गुमास्ता / MSME Udyog Adhaar के छायाप्रति संलग्न करें।)
6. विगत तीन वर्ष तक जमा किये गये फर्म का आयकर रिर्टनर्स अथवा सीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
7. वाहन का Active Fitness Certificate & PUC की छायाप्रति।
8. मध्यप्रदेश राज्य के बाहरी निविदाकार को ऑनलाईन बिड / निविदा से प्रथक रखा जावेगा।
9. निविदाकार देश / प्रदेश / स्थानीय शासन प्रशासन द्वारा ब्लेकलिस्टेड (Blacklisted or debarred by public/govt. sector) न हो तथा ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. ऑनलाईन बिड / निविदाकार फर्म / संस्था ESI & EPF Proof Attached की छायाप्रति।
11. शासी निकाय / सरकारी संस्थाओं विभागों में वाहन सेवा प्रदाय करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें, जो एक वर्ष से कम नहीं हो।
12. मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने मुख्यालय पर अधिकतम 1000किलोमीटर की सीमा आधार मानी जावेगी।

(निरंतर आगे. 2...

13. वाहन किराये पर लेने के लिए **ऑनलाईन बिड**/निविदा आमंत्रण में मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड चार्ज तथ मुख्यालय के बाहर भ्रमण हेतु वेरिएबल चार्ज पृथक–पृथक होंगे।

14. यदि माह में वाहन की रनिंग 1000 किलोमीटर से अधिक होती है तो आगामी 500 किमी. (जो कि 1000 कि.मी. से अधिक हो) के लिये प्रति किलोमीटर की दर वेरीएबल चार्ज (Variable Charge Rate) अलग से कोड करनी होगी।

15. वाहन की इस निर्धारित रनिंग मे बाहरी स्थान जैसे दमोह, कटनी, नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, इन्दौर, रीवा, सागर, ग्वालियर आदि की यात्रा भी सम्मिलित है ।

16. मुख्यालय से बाहर यात्रा पर जाने का संस्था/महाविद्यालय से आदेश (मूव्मेन्ट आर्डर) जारी किया जावेगा जिसकी प्रति वाहन प्रभारी अधि. व अनुबंधित फार्म को भी जावेगी।

17. अति आवश्यक परिस्थितियों में (रात 08 बजे से सुबह 8 बजे तक) महाविद्यालय की आवश्यक्तानुसार ड्रायवर उपलब्ध कराना होगा । आपके द्वारा ड्रायवर भेजने में असमर्थता व्यक्त करने पर संस्था द्वारा ड्रायवर की व्यवस्था कर वाहन का उपयोग किया जा सकता है। यह संस्था पर निर्भर करेगा।

18. विशेष कार्य होने पर यदि गाडी का उपयोग रात्रि 08.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक किया जावेगा तो उसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।

19. ड्रायवर, ईधन, बैटरी, टायर एवं गाडी की मरम्मत (यदि होती है तो) आदि पर व्यय गाडी मालिक को वहन करना होगा एवं यह कोटेड राशि में सम्मिलित होगा।

20. ए.सी. चालन से अधिक ईधन खपत के लिए संस्था की कोई जवाबदेही नहीं होगी ।

21. शासन के नियमानुसार किसी भी प्रकार का टैक्स/टोल टैक्स, पार्किंग टैक्स (यदि होता है तो) उसे भी गाडी मालिक को वहन करना होगा एवं कोटैड राशि में सम्मिलित होगा ।

22. **अनुबंधित फार्म की ओर से वाहन परिचालन की विस्तृत जानकारी सहित आरटीओ म.प्र. शासन के निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रिंटेड लॉग बुक का संधारण किया जायेगा।**

23. लॉगबुक में माईलोमीटर की रीडिंग यात्रा प्रारंभ एवं अंत होने बाद दूसरे दिवस पुनः यात्रा प्रारंभ होने पर निरंतरता (countinue) हो।

24. लॉगबुक में यात्रा करने का उदेश्य तथा कारण जिसमें किस संस्था/कार्यालय/विभाग से किस संस्था/कार्यालय के लिए की गई हैं उसका नाम लिखे। लॉग बुक के प्रत्येक कॉलम की प्रविष्टियों आवश्यक रूप से किया जावे। तथा यात्राकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर के कालमों की पूर्ति की जाना चाहिए।

25. बिल/देयकों में माह वार प्रारंभ रीडिंग से अंतिम रीडिंग तथा कुल किलोमीटर का भी उल्लेख किया जावे।

(निरंतर आगे...3.

26. बिल बुक प्रिंटेड होनी चाहिए जिसमें देयक क्रमांक उछला हुआ होना चाहिए, फर्म का नाम, पता, जीएसटी नं. पेनकार्ड आदि भी छपा होना चाहिए।

27. किराये का भुगतान देयक दो प्रतियों में प्रतिमाह नियमित रूप से प्रस्तुत करना होगा, देयक में नियमानुसार सर्विस टैक्स, आयकर, जीएसटी व अन्य टेक्स की पृथक–पृथक उल्लेख होना चाहिए।

28. देयक मैन्यूअल (ऑफलाईन) प्रतिमाह दिनांक 01 से 05 तारीख तक संस्था में प्रस्तुत किया जावे, एवं देयक पास होने के पश्चात दूसरा देयक प्रस्तुत करें।

29. प्रतिमाह किराये का भुगतान संस्था महाविद्यालय द्वारा स्वाशासी मद से देय होगा, जो कि शासन के प्रचलित माध्यम बैंक खाते ई–पयेमेंन्ट/बैंक खाता/चेक से किया जावेगा।

30. किसी भी प्रकार की टूट फूट या दुर्घटना, बीमा दावा इत्यादि के लिये संस्था जिम्मेदार नही होगी ।

31. वाहन की टूट फूट अथवा मरम्मत के लिए अनुपलब्धता की स्थिति में वैकल्पिक वाहन (उसी क्षमता) की उपलब्धता सुनिश्चित करना ऑनलाईन बिडर/निविदाकर्ता की जिम्मेंदारी होगी ।

32. माह के जिस दिन/दिनों, भी किन्ही कारणों से मालिक द्वारा गाडी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उस दिन का किराया बाजार दर से काट कर मालिक को किराये का भुगतान किया जावेगा अथवा न्यूनतम रूपये 1000/– प्रतिदिन की दर से काटकर भुगतान किया जावेगा।

33. गाडी का आर.टी.ओ. से टेक्सी के रूप में पंजीयन एवं काम्प्रीहेसिव बीमा अनिवार्य है एवं इसका साक्ष्य ऑनलाईन बिड/निविदा के साथ संलग्न करें अन्यथा ऑनलाईन बिड/निविदा अमान्य कर दी जावेगी । (वाहन का जीवीत/एक्टीव आर.सी., बीमा, फिटनेस, की छायाप्रति संलग्न होना चाहिए)

34. दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद आर.टी.ओ. मे टेक्सी श्रेणी में पंजीकृत वाहनो को ही ऑनलाईन बिड/निविदा हेतु मान्य किया जावेगा । पुष्टि हेतु स्वच्छ व स्पष्ट पठनीय अभिलेख संलग्न करें ।

35. आदेश मिलने के पश्चात वाहन, 07 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा आदेश निरस्त माना जावेगा।

36. उपलब्ध कराये जाने वाले चालक के पास शासन द्वारा निर्धारित वैद्य ड्रायविंग लाइसेंस, यातायात के नियमों का ज्ञान, खुद का मोबाइल नम्बर चालू हालत में होना आवश्यक है, ड्राइवर का आचरण मध्यप्रदेश आचरण सहिता के अनुसार होने के साथ साथ मद्यपान का निषेद रहेगा।

(निरंतर आगे.4...

37. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन व चालक पर कोई अपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो । जानकारी छिपाये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित फर्म की रहेगी ।
38. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था प्राचार्य का निर्णय अंतिम व निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा ।
39. ऑनलाईन बिड/निविदा मूल्यांकन में न्यूनतम दरों को प्राथमिक्ता दी जावेगी परंतु इस विषय में प्राचार्य का निर्णय अंतिम व निविदाकरों पर बंधनकारी होगा ।
40. संस्था प्राचार्य को बिना किसी कारण बताये निविदा निरस्त करने अथवा ऑनलाईन बिड/निविदा तिथियों में फेरबदल करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा ।
41. **वाहन अनुबंध की अवधि तक रहेगी, कार्य संतोषप्रद होने पर अवधि छः माह, (अधिकतम एक वर्ष,) विशेष परिस्थिति में आगे के लिए बढ़ाई जा सकती है।**
42. ऑनलाईन बिड/निविदा चयन की स्थिति में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा के वार्षिक मूल्य का 05 प्रतिशत या **रू. 25000/-** (पच्चीस हजार मात्र) जो अधिकतम हो का बैक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर के नाम से जमा करनी होगी । **जो अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात संधारित की जा रही वाहन लॉगबुक विधिवत संस्था में जमा कराये जाने पर वापिस कर दी जावेगी ।** इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । कार्य विवरण के अनुसार कार्य न होने की स्थिति में प्राचार्य को परफारमेंस गारंटी राशि पूरी अथवा आंशिक रूप से जब्त करने का पूरा अधिकार होगा जिसे निविदाकार कहीं भी चुनौती नहीं दे सकेगा ।
43. अनुबंधित वाहन का परिचालन, यात्रा नहीं होने पर संस्था परिसर में खड़ा रखना होगा।
44. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अनुबंधित फर्म को वाहन बदलनें की अनुमति नहीं होगी। यदि विशेष परिस्थितियों में वाहन बदलना पड़ता है तो उसकी पूर्व में कारण सहित लिखित सूचना पर सम्बधित अधिकारी द्वारा वाहन बदलने की अनुमति दी जावेगी। इस प्रकार वाहन बदलने की अनुमति अधिकतम एक वर्ष में अधिकतम तीन बार ही प्रदान की जावेगी।
45. ऑन लाईन बिड/निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित फर्म एवं प्राचार्य जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय के मध्य अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले न्यायालयीन, स्टाम्प टिकट आदि व्यय के भुगतान भी संबंधित फर्म द्वारा ही वहन करना होगा। तथा अनुबंध की मूलप्रति संस्था/महाविद्यालय में जमा कराई जावेगी।
46. वाहन चालक का बीमा होना आवश्यक है तथा वाहन दुर्घटनाग्रस्त/क्षतिगस्त व किसी भी प्रकार की हानि के अनुबंधित फर्म या उनके कर्मियों/वाहर चालक या अन्य को किसी भी प्रकार की कानूनी क्षतिपूर्ति हेतु नौकरी या अनुदान भत्ता का संस्था विभाग जिम्मेदार नहीं होगी।

(निरंतर आगे.5...

47. वाहन में फर्स्ट एड बाक्स, अग्निशमक यंत्र, की व्यवस्था करना होगा तथा वाहन चालक को यंत्र को संचालित करना आना चाहिए।
48. पार्टनरशिप फर्म होने पर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित पॉवर ऑफ एटर्नी में सभी सझेदारों के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
49. सेवा प्रदाय फर्म को शासन के प्रचलित शासकीय नियमों (यातायात नियम, वाहन एक्ट, श्रम एवं पर्यावरण प्रदूषण आदि) का पालन करना होगा।
50. बिड दो भागों में प्रकाशित की जावेगी **(A) <u>Technical Bid</u> (B) <u>Financial Bid</u>** तकनीकी बिड में सफल हुये सेवाप्रदाता फर्मो/निविदाकारों को ही वित्तीय बिड पर भाग लेने के लिए शामिल किया जावेगा (संलग्न : Annexure 1, Annexure 2,)।
51. **तकनीकी बिड (Technical Bid) के साथ किसी भी प्रकार कि वित्तीय बिड (Financial Bid) की प्रतिलिपि (Annexure 2) अपलोड नहीं की जावे।**
52. आवश्यक होने पर संस्था/विभाग को वित्तीय बिड खोले जाने के दौरान प्रदाय किये जाने वाले वाहन को निरीक्षण/ट्रायल हेतु उपलब्ध कराना होगा।
53. वित्तीय बिड में निविदाकार द्वारा एक बार दर प्रस्तुत कर देने के पश्चात निविदा की दर में किसी भी प्रकार का परिर्वतन या फेरबदल नही किया जावेगा।
54. बिन्दु क्रमांक 3, 4,5, 6, 7, 9, 10, 11, 33 एवं 34 में उल्लेखित शर्तो की पुष्टि हेतु अभिलेख की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें । उक्त अभिलेखों के अभाव में ऑनलाईन बिड/निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

संलग्न :– **(A) <u>Technical Bid</u>**
(B) <u>Financial Bid</u>

प्राचार्य,
जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

Annexure -1

(A) Technical Bid :-

Sr.No.	Particulars Details	Information	Photo Copy Enclose (Yes or No)
1	2	3	5
1	Service Provider Agency or company/ travels Name and Address (नगर निगम द्वारा प्रदत्त फर्म का स्थापना का प्रमाण पत्र/गुमास्ता)		
	Agency or company/ travels Registration Number गुमास्ता की छायाप्रति संलग्न करें		
2	Proprietor Name and Mobile No.		
3	Adhar Card No. of Proprietor and copy Enclosed,		
4	Adhar Card No. of Firm/Travels/Agency and copy Enclosed,		
5	Pan Card No. of Proprietor and copy Enclosed,		
6	Pan Card No. of Firm/Travels/Agency and copy Enclosed,		
7	Income Tax Returns/Turnover Certificate 3 Years Attached Copy Encloses छायाप्रति संलग्न करें।		
8	GST NO. certificate छायाप्रति संलग्न करें।		
9	Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services Sedan Vehicle Name आर.सी. छायाप्रति संलग्न करें।		
10	Offered Vehicle Make/model Year 2022		
	Offered Vehicle Registration Number,		
	Offered Vehicle Registration Date,		
	Offered Vehicle **RC** copy Encloses		
11	Offered Vehicle Registration RTO as Taxi Group/Category आर.सी. छायाप्रति संलग्न करें।		
12	Vehicle Fitness Certificate & Expire Date Farm C.M.V.R.-38 छायाप्रति संलग्न करें।		
13	Vehicle Insurance Certificate & Expire छायाप्रति संलग्न करें।		
14	Certificate for Non Polluting Vehicle (PUC) छायाप्रति संलग्न करें।		
15	EPF Proof Certificate Copy Attached Encloses		
16	ESI Proof Certificate Copy Attached Encloses		
17	Experience Enclose Certificate (पूर्व में किसी संस्था में वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में) छायाप्रति संलग्न करें।		
18	Affidavit of Bidder should not have been blacklisted or debarred by public/govt. sector		
19	Geographic Presence in States MP/local		
20	MSME Udyog Adhaar Number छायाप्रति संलग्न करें।		
21	Name of Driver & License No. (ड्रायवर के लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।)		
22	Copy of Driver Insurance. छायाप्रति संलग्न करें।		
23	Affidavit of Driver having no criminal proeceding, pending in any court of Low. छायाप्रति संलग्न करें।		

नोटः– तकनीकी बिड (Technical Bid) के साथ किसी भी प्रकार कि वित्तीय बिड (Financial Bid) की प्रतिलिपि (Annexure 2) अपलोड नहीं की जावे।

Signature & Stamp
Service Provider/Agency or company/ travels

(B) Financial Bid :-

Sr. No.	Particulars Details	Name & Number of Vehicle	Make Year	Ex Showroom prize of Vehicle	Monthly Charges
1	2	3	4	5	6
a	Fixed Charge Rate for @1000km				

Sr. No.	Particulars Details	Name & Number of Vehicle	Make Year	Ex Showroom prize of Vehicle	Rate per KM	Charges as per 500KM
1	2	3	4	5	6	7
b	Variable Charge Rate for 500KM@ (which is above 1000km)					
Total Charges ₹ (Inclusive of all duties & taxes as per the norms of Govt.) (a+b)						

Signature & Stamp
Service Provider/Agency or company/ travels